न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः— 333/2019/223 (2019/00333)

1. पूसाराम पुत्र रामचन्द्र,
2. कंचन पुत्री रामचन्द्र,
3. पूसी पुत्री रामचन्द्र,

समस्त जाति जाट, निवासी ग्राम तबीजी, तह0 व जिला अजमेर ।

अपीलांटस

बनाम

1. रंगलाल पुत्र सुखदेव,
2. सांवला पुत्र सुखदेव तथाकथित दत्तक पुत्र सुवालाल,
3. काना पुत्र सुखदेव,
4. शिवराज पुत्र सुखदेव (मृतक) जरिये वारिसानः—
   4/1— तुलसी पत्नी शिवराज,
   4/2— पिंकी पुत्री शिवराज,
   4/3— रिंकी पुत्री शिवराज,
   4/4— खुशबु पुत्री शिवराज,
   4/5— अजय पुत्र शिवराज, नाबालिग
   4/6— पूजा पुत्री शिवराज, नाबालिग,
   4/7— पूनम पुत्री शिवराज, नाबालिग
   4/8— बेबी पुत्री शिवराज, नाबालिग
   रेस्पो0 संख्या 4/5 से 4/8 नाबालिगान जरिये सरंक्षिका प्राकृतिक माता तुलसी पत्नी शिवराज,
   समस्त जाति जाट, निवासी ग्राम तबीजी, तह0 व जिला अजमेर ।
5. सुखदेव पुत्र धूकल, जाति जाट, निवासी ग्राम तबीजी, तहसील व जिला अजमेर ।
6. शिवजीराम पुत्र गोपीचन्द जाट (मृतक) जरिये वारिसानः—
   6/1— भोजराज पुत्र शिवजीराम,
   6/2— भागचन्द पुत्र शिवजीराम,
   6/3— देवकरण पुत्र शिवजीराम,
   6/4— पूसी पुत्री शिवजीराम,
   6/5— घीसी पुत्री शिवजीराम,
   समस्त जाति जाट, निवासी तबीजी, तहसील व जिला अजमेर ।
7. श्रीमती दाखा पत्नी श्रवण, जाति जाट, निवासी तबीजी, तहसील व जिला अजमेर ।
8. उप पंजीयक, अजमेर ।
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, अजमेर, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेटस

10. सायरी पत्नी स्व0 सुवा, जाति जाट, हाल निवासी पीपलाज, तह0 ब्यावर जिला अजमेर ।
11. अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर ।

प्रफोर्मा रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय व डिक्री विद्वान सहायक कलक्टर (मुख्यालय), अजमेर दिनांक 28.5.2016 अंतर्गत वाद संख्या 107/2007.

उपस्थितः—

1. श्री महेन्द्र सिंह चौहान, वकील अपीलांटस ।
2. श्री अजीत सिंह राठौड़, वकील रेस्पो0 संख्या 1 से 3.
3. श्री गिरीश पारीक, वकील रेस्पो0 संख्या 11.
4. रेस्पो0 संख्या 4/1 से 8 अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांकः— 05.02.2021

1. यह अपील विद्वान सहायक कलक्टर (मुख्यालय), अजमेर के निर्णय व डिक्री दिनांक 28.5.2016 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है ।
2. वादीगण/रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 4 ने अधी0न्याया0 के समक्ष राजस्व वाद अंतर्गत धारा 88, 53 एवं 188 राज0काश्त0अधि0 1955 तहत विरूद्ध प्रतिवादीगण प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि खसरा संख्या 1272 रकबा 1—00—01, खसरा नंबर 1273 रकबा 2—5—00, खसरा नंबर 1276 मिन रकबा 2—15—00, खसरा नंबर 1336 रकबा 2—5—04, खसरा नंबर 1337 रकबा 2—5—04, खसरा नंबर 1509 मिन रकबा 2—17—10, खसरा नंबर 1510 मिन रकबा 3—00—00, खसरा नंबर 1511 रकबा 1—10—04, खसरा नंबर 1512 रकबा 1—18—10 समस्त किस्म बारानी—2 तथा खसरा नंबर 2547 रकबा 00—11—10 किस्म चाही—1 कुल किता 10 कुल रकबा 21—5—10 भूमियां ग्राम तबीजी, तहसील व जिला अजमेर में अवस्थित है । उक्त भूमि सुवा, सुखदेव व रामचन्द्र पुत्रान धूकल की खातेदारी की भूमि है लेकिन वर्किंग जमाबंदी में मात्र सुखदेव व रामचन्द्र पुत्रान धूकल का नाम अंकित है जबकि सुवा पुत्र धूकल का भी उक्त आराजी में 1/3 हिस्सा है जिसका वारिस वादी संख्या 2 सांवरा दत्तक पुत्र सुवा है जिसे 1/3 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाकर न्यायिक बंटवारा किया जावे । प्रतिवादीगण बिना बटवारा कराये खसरा संख्या 2547 रकबा 00—11—10 प्रतिवादी संख्या 4 को त्रुटिपूर्ण रूप से दिनांक 20.9.2007 को विक्रय कर दिया है जबसे वाद कारण उत्पन्न होना अंकित किया । अन्त में वादी संख्या 2 को 1/3 हिस्से पर खातेदार घोषित कर रिकार्ड तथा मौके पर न्यायिक बटवारा किया जाकर प्रवितादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करने का निवेदन किया। अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 28.5.2016 द्वारा वादी/रेस्पो0 संख्या 1 से 4 का वाद डिक्री करने के आदेश पारित किये। अधी0न्याया0 के इस निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।
3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में विद्वान उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।
4. विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है । वादीगण/रेस्पो0 संख्या 1 से 4 ने अधी0न्याया0 के समक्ष पूर्व में उक्त वाद वास्ते बटवारे एवं स्थायी निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया था परन्त बाद में वादीगण ने उक्त वाद में आदेश 6 नियम 17 का प्रार्थना पत्र पेश कर उक्त वाद को नये सिरे से नयी रंगत देते हुए अपने वाद में वादी संख्या 2 सांवरा पुत्र रामचन्द्र तथाकथित दत्तक पुत्र सुवा को 1/3 हिस्से का खातेदार उद्घोषित करने का अविधिक रूप से प्रयास किया था तथा वादी संख्या 2 सांवरा दत्तक पुत्र सुवालाल वर्तमान रेस्पो0 संख्या 2 ने अधी0न्याया0 के समक्ष ऐसा कोई ठोस दस्तावेजी सबूत एवं साक्ष्य पेश नहीं की थी जिसके आधार पर यह साबित होता हो

कि सांवरा पुत्र सुखदेव, सुवा पुत्र धूकल के कभी गोद गया हो । सुवा पुत्र धूकल ने अपने जीवनकाल में कभी भी सांवरा पुत्र सुखदेव को गोद नहीं लिया और न ही सांवरा पुत्र सुखदेव ने अधी0न्याया0 के समक्ष अपने दत्तक पुत्र होने संबंधी गोदनामा संबंधी कोई दस्तावेज पेश किये हो जिसके आधार पर सांवरा पुत्र सुखदेव को सुवा पुत्र धूकल का दत्तक पुत्र माना गया हो और न ही दत्तक पुत्र संबंधी रीति–रिवाज का निर्वहन किया गया था और न ही अधी0न्याया0 के समक्ष ऐसा कोई दस्तावेजी सबूत या साक्ष्य पेश थी जिससे यह साबित होता हो कि सांवरा पुत्र सुखदेव को सुवा पुत्र धूकल ने गोद लिया हो । इन सभी तथ्यों को नजरअदांज कर अधी0न्याया0 ने ने सरसरी तौर पर कैम्प कौर्ट में आदेश दिनांक 28.5.2016 को पारित किया है जो निरस्तनीय है । विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में आगे कथन किया कि अधी0न्याया0 की पत्रावली कैम्प तबीजी के समक्ष दिनांक 28.5.2016 को सुनवाई हेतु नियत हुई तथा पत्रावली बाबत् संपूर्ण पक्षकार अधी0न्याया0 के समक्ष उपस्थित नहीं हुए थे तथा वाद पत्र के सभी पक्षकारों को बिना सुने अधी0न्याया0 ने फौरी तौर पर पत्रावली पर उपस्थित दस्तावेजों को बिना विधिक रूप से अवलोकन किये आदेश पारित किया है जो निरस्तनीय है । वादीगण ने वादपत्र के साथ सुवा पुत्र धूकल का गलत एवं फर्जी सजरा प्रस्तुत किया जिसमें सुवा पुत्र धूकल की पत्नी सायरी पत्नि सुवा को मृत बताया तथा स्वंय को सुवा पुत्र धूकल का दत्तक पुत्र बताते हुए उक्त आशय का फर्जी सजरा अधी0न्याया0 के समक्ष प्रस्तुत कर सुवा पुत्र धूकल की आराजियात को अपने नाम तस्दीक किये जाने का प्रयास किया गया जबकि सुवा पुत्र धूकल की पत्नी सायरी आज दिनांक तक जीवित होकर ग्राम पीपलाज तहसील ब्यावर में निवास कर रही है । सुवा पुत्र धूकल ने अपने जीवनकाल में और उनके पश्चात् उनकी पत्नी सायरी ने वादी संख्या 2 सांवरा पुत्र सुखदेव तथाकथित दत्तक पुत्र को गोद नहीं लिया है । सांवरा पुत्र सुखदेव ने सुवा पुत्र धूकल की आराजियात को अपने नाम करने के उद्देश्य से सुवा पुत्र धूकल की मृत्यु उपरांत वोटर लिस्ट, आधार कार्ड, राशन कार्ड में अपने वास्तविक पिता सुखदेव के नाम के स्थान पर कूटरचित दस्तावेज सुवा के नाम से करवाये है । अधी0न्याया0 के समक्ष अपीलांट पूसाराम पुत्र रामचन्द्र एवं सोनकी बेवा रामचन्द्र को वादीगण द्वारा बहला फुसला कर एवं उनके अशिक्षित होने का लाभ उठाकर उनसे इकबालिया जवाब पेश करवा कर अधी0न्याया0 के समक्ष लंबित वाद को स्वीकार किये जाने का निवेदन किया जबकि सांवरा पुत्र सुखदेव तथाकथित दत्तक पुत्र सुवा द्वारा उनसे इकबालिया जवाब दावे पर यह कहते हुए हस्ताक्षर करवाये गये कि उक्त दस्तावेज रामचन्द्र एवं सुखदेव की जमीन बाबत् बटवारा किये जाने हेतु कोर्ट में पेश करने है, तथा उक्त राजस्व वाद केवल बटवारे बाबत् है जबकि सांवरा पुत्र सुखदेव तथाकथित दत्तक पुत्र सुवा ने पक्षकारों को धोखे में रखकर इकबालिया जवाब दावा हस्ताक्षकर कर अधी0न्याया0 के समक्ष पेश कर दावा डिक्री करवाया है । बहस में आगे कथन किया कि अधी0न्याया0 के समक्ष लंबित राजस्व वाद को कैम्प कोर्ट तबीजी में डिक्री किये जाने की दिनांक 28.5.2016 के पूर्व ही वाद पत्र में कायम प्रतिवादी संख्या 2 सोनी पत्नी रामचंद्र की मृत्यु दिनांक 8.11.2011 को हो चुकी थी तथा साथ ही प्रतिवादी संख्या 4 शिवराम पुत्र गोपीचन्द का निधन वादपत्र के निर्णय के पूर्व हो चुका था । इस बात की जानकारी वादीगण को होने के बावजूद भी वादीगण ने मृतकों के वारिसानों को रिकार्ड पर लिये जाने संबंधी कोई कार्यवाही नहीं कर मृतक पक्षकारों के विरूद्ध अधी0न्याया0 को धोखे में रखकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री प्राप्त की है । यह भी कथन किया कि वाद के विचाराधीन रहते विवादित आराजी अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर को वर्किंग खसरा नंबर 1336 रकबा 2–5–04 के नये खसरा

नंबर 2983 रकबा 0.40 है0, खसरा संख्या 1337 रकबा 2–05–04 के नये खसरा नंबर 2984 रकबा 0.40 है0, खसरा संख्या 1509 रकबा 2–17–10 के नये खसरा नंबर 2979 रकबा 0.47 है0 जरिये नामांतकरण संख्या 266 दिनांक 15.6.2015 को हस्तातंरित हो चुकी थी इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने बिना अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर को पक्षकार बनाये तथा अजमेर विकास प्राधिकरण की आराजियात बाबत् अपने आदेश दिनांक 28.5.2016 द्वारा वाद डिक्री करने में त्रुटि कारित की है । अधी0न्याया0 ने निर्णय व डिक्री दिनांक 28.5.2016 द्वारा अपीलांटस के पक्ष में खसरा नंबर 1336 रकबा 00–08–00 तथा खसरा नंबर 1337 रकबा 2–09–00 के हिस्से में रखे जाने के आदेश प्रदान किये है जबकि खसरा संख्या 1336 के नये खसरा संख्या 2983 तथा खसरा संख्या 1337 के नये खसरा नंबर 2984 बने है जो वर्तमान में अजमेर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज है । अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री निरस्त की जावे ।

5. विद्वान वकील अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर निवेदन किया कि अधी0न्याया0 के निर्णय व डिक्री दिनांक 28.5.2016 की अपीलांट को जानकारी नहीं थी । राजस्व कर्मचारियों द्वारा अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर की भूमि को छोड़ते हुए अन्य भूमि बाबत् मौके पर बंटवारा करने हेतु आने पर अपीलांटस को ज्ञात हुआ कि अपीलांटस के हिस्से की भूमि को रेस्पो0 संख्या 1 से 4 ने आपस में सांठ–गांठ करके सांवरा पुत्र सुखदेव तथाकथित दत्तक पुत्र सुवा ने अपने नाम 1/3 हिस्से की डिक्री अधी0न्याया0 द्वारा करवा ली है तथा अजमेर विकास प्राधिकरण की भूमि को रेस्पो0/वादीगण ने धोखे से अपीलांटस के हिस्से में रख दी है । तब अपीलांटस ने उक्त आदेश के बारे मे जानकारी प्राप्त कर अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक 21.3.2017 को अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की प्रमाणित प्रति हेतु आवेदन किया जिस पर दिनांक 23.3.2017 को नकलें प्राप्त होने पर जानकारी से अंदर मियाद यह अपील पेश की है । अपील में हुआ विलंब उचित एवं सद्भाविक है । अतः विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।

6. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् है । रेस्पो0 ने अपील के विचाराधीन रहते प्रार्थना पत्र वास्ते निरस्त फरमाने अपील पेश कर निवेदन किया कि वाद संख्या 7/02007 में अपीलांट संख्या 2 लगायत 3 एवं प्रफोर्मा रेस्पो0 संख्या 10 पक्षकार कायम नहीं थे, फिर भी उक्त अपील में माननीय न्चयायालय के समक्ष अनुमति बिना पक्षकार कायम कर हस्तगत अपील पेश की है जिसका अपीलांट को कोई अधिकार नहीं है । अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत अपील जाप्ता दीवानी के आज्ञापक प्रावधानों के विपरीत है जिससे प्रथम दृष्टया अपील संधारण योग्य नहीं होकर काबिल निरस्तनीय है। अतः उक्त कारणों से अपील को निरस्त किया जावे ।

7. प्रकरण में गुणावगुण पर बहस करते हुए विद्वान वकील रेस्पो0 ने कथन किया कि वादग्रस्त आराजियात सुवा, सुखदेव व रामचन्द्र पुत्रान धूकल की खातेदारी भूमि है लेकिन वर्किंग जमाबंदी में मात्र सुखदेव व रामचन्द्र पुत्रान धूकल का नाम अंकित है जबकि विवादित भूमि में सुवा पुत्र धूकल का 1/3 हिस्सा था । वादी संख्या 2 सांवरा सुवा का दत्तक पुत्र होने के कारण अधी0न्याया0 ने विवादित भूमि के 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया गया है । प्रतिवादी संख्या 1, 2 व 3 तथा 4 व 5 ने अधी0न्याया0 के समक्ष इकबाली जवाबदावा पेश कर वाद पत्र को स्वीकार किया है । अब प्रतिवादीगण इकबाली जवाबदावे से इंकार नहीं कर सकते है । अधी0न्याया0 ने प्रतिवादीगण द्वारा राजीनामे के आधार पर इकबाली जवाबदावा पेश कर वाद डिक्री करने का निवेदन किया है

जिसके आधार पर अधी0न्याया0 ने वाद विधिसम्मत् रूप से डिक्री किया है । वादी संख्या 2 सांवरा ने सुवा का दत्तक पुत्र होने के संबंध में अधी0न्याया0 के समक्ष दस्तावेजी साक्ष्य पेश किये है । अधी0न्याया0 ने उपरोक्त समस्त दस्तावेजी साक्ष्यों को ध्यान में रखकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है जो विधिसम्मत् निर्णय है । यह भी कथन कि अपीलांट संख्या 2 व 3 अधी0न्याया0 में पक्षकार नहीं थे इस कारण उनके द्वारा धारा 96 जा0दी0 के प्रार्थना पत्र के माध्यम से अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्राप्त किये बिना प्रस्तुत अपील संधारण योग्य नहीं है। अतः अपील अपीलांटस निरस्त की जावे । विद्वान वकील रेस्पो0 ने अपने कथनों के समर्थन में आर0बी0जे0 2020 पेज 569 का न्यायिक दृष्टांत उद्धरित किया ।

8. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है । अपीलांटस ने विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित एवं सद्भाविक प्रतीत होते है । हम न्यायहित में अपीलांटस को गुणावगुण पर सुना जाना न्यायोचित समझते है । अतः अपील में हुआ विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।

9. प्रकरण में गुणावगुण पर पत्रावली का अवलोकन किया गया । हम सर्वप्रथम अप्रार्थी/रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र वास्ते निरस्त फरमाने अपील का निस्तारण करना उचित समझते है । रेस्पो0 अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलांट संख्या 2 व 3 कंचन व पूसी पुत्रियां रामचंद्र एवं प्रफोर्मा रेस्पो0 संख्या 10 सायरी पत्नि सुवा अधी0न्याया0 के समक्ष पक्षकार नहीं थे परन्तु अपील पत्रावली पर गलत तौर से पक्षकार कायम करते हुए अपील पेश की गई है । इस कारण अपील खारिज की जावे ।

10. जवाब में विद्वान वकील अपीलांटस का कथन है कि अपीलाधीन भूमि सुवा, सुखदेव व रामचंद्र पुत्रगण धूकल की खातेदारी की भूमियां थी । अपीलांट संख्या 2 व 3 रामचंद्र पुत्र धूकल जिसका अपीलाधीन भूमियों में 1/3 हिस्सा निहित था के वारिसान है तथा प्रफोर्मा रेस्पो संख्या 10 सायरी पत्नि सुवा जो कि सुवा की पत्नि होने के नाते वारिसान है तथा सुवा पुत्र धूकल का अपीलाधीन भूमियों में 1/3 हिस्सा था इस कारण अपीलांटस संख्या 2 व 3 तथा प्रफोर्मा रेस्पो0 संख्या 10 का भी भूमि में हक व अधिकार निहित है । इस कारण इन्हें अपील में पक्षकार बनाया गया है । विद्वान अधिवक्ता अपीलांटस ने न्यायालय का ध्यान आदेश 1 नियम 10 (2) जा0दी0 की और आकर्षित किया जिसमें यह निर्धारित किया गया है किः– " Court may strike out or add parties-The Court may at any stage of the proceedings. either upon or without the application of either party, and on such terms as may appear to the Court to be just, order that the name of any party improperly joined, whether as plaintiff or defendant, be struck out, and that the name of any person who ought to have been joined, whether as plaintiff or defendant, or whose presence before the Court may be necessary in order to enable the Court effectually and completely to adjudicate upon and settle all the questions involved in the suit, be added "

इस कारण अपील में पक्षकार बनाये गये है । उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस एवं पत्रावली के अवलोकन एवं उपरोक्त विवचेन से स्पष्ट है कि अपीलांट संख्या 2 व 3 रामचंद्र के वारिसान है तथा प्रफोर्मा रेस्पो0 संख्या 10 की पत्नि होकर सुवा की वारिस है । हिन्दू उत्तराधिकार अधि0 के तहत हक व अधिकार निहित होते है । प्रथमदृष्टया अपीलाधीन भूमियों में

हक अधिकार प्रतीत होने से हाजा न्यायालय स्वंय के स्तर पर अपील में अपीलांट संख्या 2 व 3 व प्रफोर्मा रेस्पो0 संख्या 10 को यथावत् पक्षकार बनाये रखने के आदेश पारित किये जाते है तथा रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र वास्ते अपील निरस्त फरमाने, निरस्त किया जाता है ।

11. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित आराजियात में सुवा पुत्र धूकल का 1/3 हिस्सा निहित था जिसके संपूर्ण वारिसान को एवं रामचंद्र जिसका भी अपीलाधीन भूमि में 1/3 हिस्सा निहित है, उसके संपूर्ण वारिसान अपीलांट संख्या 2 व 3 एवं प्रफार्मा रेस्पो0 संख्या 10 को बिना पक्षकार बनाये अधी0न्याया0 द्वारा बिना वारिसान की जांच किये निर्णय व डिक्री पारित की है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है क्योंकि हितबद्ध व आवश्यक पक्षकार को न्यायहित में सुनवाई का अवसर दिया जाना अतिआवश्यक है । उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री निरस्त योग्य होकर प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है ।

12. अतः अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । विद्वान सहायक कलक्टर (मु0), अजमेर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 28.5.2016 को निरस्त किया जाता है तथा पत्रावली अधी0न्याया0 को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि वे वाद में अपीलांट संख्या 2 व 3 कंचन व पूसी पुत्रियां रामचंद्र एवं प्रफोर्मा रेस्पो0 संख्या 10 श्रीमती सायरी पत्नि सुवा को वाद पत्रावली में पक्षकार कायम कर उभयपक्ष को जवाब, साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर वाद को गुणावगुण पर निर्णित करे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

13. निर्णय आज दिनांक 05.02.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर